



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 31-05-21

थाना साहिबाबाद पुलिस एंव आब0 की संयुक्त टीम की कार्यवाही में एक शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 60 पव्वे देशी शराब व एक मो0सा0 बरामद-

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम एंव आबकारी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 30.05.21 को जनपद गाजियाबाद से दिल्ली में शराब की तस्करी कर महंगे दोमो में बेचने ले जाते समय चैकिंग के दौरान समय करीव 18.30 बजे शानि मन्दिर यूपी बोर्डर से एक अभियुक्त सूरज पुत्र दीपचन्द नि0 संगत राशन थाना पहाड गंज नई दिल्ली उम्र करीव 31 वर्ष को 60 अदद पव्वे देशी शराब उ0प्र0 मार्का मय एक मो0सा0 नं0 डीएल 5एस बीजी 8927 होण्डा टिवस्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है,

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ गाजियाबाद से देशी शराब को खरीदकर अपनी मोटर साईकिल से नशे के आदी लोगो को दिल्ली में महंगे दामो में बेच कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सूरज पुत्र दीपचन्द नि0 संगत राशन थाना पहाड गंज नई दिल्ली उम्र करीव 31 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1107/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 60 पव्वे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।
2. एक मो0सा0 होण्डा टिवस्टर नं0 डीएल 5एस बीजी 8927 तस्करी में प्रयुक्त।



थाना कविनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त पुनीत वर्मा पुत्र बृजकिशोर वर्मा निवासी 80 कानून गोयान चाह कमाल थाना हापुड हाल पता प्रवेश विहार बिटटू गौतम का मकान थाना मेडिकल जपनद मेरठ को दिनांक 30.05.2021 को गिरफ्तार किया है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाये कारित कर तथा गैंग बनाकर अवैध धन अर्जित किया है। अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में 06.02.2021 से वांछित चल रहा था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

पुनीत वर्मा पुत्र बृजकिशोर वर्मा निवासी 80 कानून गोयान चाह कमाल थाना हापुड
हाल पता- प्रवेश विहार बिट्टू गौतम का मकान थाना मेडिकल जपनद मरेठ
उम्र 26 वर्ष शिक्षा B.Tech (Civil Engineering)

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 1602/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 1666/20 धारा 413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त रोहित गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता नि0 2/72 राजनगर कविनगर गा0बाद उसके मस्कन से दिनांक 31.05.2021 को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना कारित की है तथा गैंग बनाकर अवैध धन अर्जित किया है। अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में 31.03.2021 से वांछित चल रहा था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रोहित गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता नि0 2/72 राजनगर कविनगर गा0बाद उम्र 30 वर्ष शिक्षा स्नातक ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 4- मु0अ0सं0 475/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 5- मु0अ0सं0 1918/19 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।



थाना मोदीनगर पुलिस ने हत्या में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय के आदेशानुसार वांछितों के विरुद्ध हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर श्री मुनेन्द्र सिंह के नेतृत्व में **मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त** यदुवेन्द्र सिंह यादव उर्फ जगंली फौजी पुत्र रामकिशन यादव निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को दिनांक 31.05.2021 को काजमपुर कट थाना मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त मु0अ0सं0 668/20 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि थाना मोदीनगर में काफी समय से वांछित था।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त -

1. यदुवेन्द्र सिंह यादव उर्फ जगंली फौजी पुत्र रामकिशन यादव निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 668/20 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि थाना मोदीनगर गा0बाद ।



थाना मसूरी पुलिस द्वारा 250 ग्राम नाजायज गांजा सहित एक नफर शातिर अभियुक्त गांजा तस्करी गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दिनांक- 31.05.21 को थाना प्रभारी प्रताप सिंह थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब चैकिंग के दौरान उ0नि0 श्री उमेश कुमार द्वारा 01 नफर अभियुक्त

इमरान उर्फ पप्पू पुत्र मोमीन निवासी ग्राम निडोरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को निर्माणाधीन कालेज के पास ग्राम निडोरी के पास से 250 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 441/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु गांजा तस्करी करने का काम करता है। दिनांक 31.05.21 को अभियुक्त की जेब में पॉलीथीन में रखा 250 ग्राम गांजा को निडोरी से छिजारसी की तरफ पैदल-पैदल बेचने के लिए ले जा रहा था। निर्माणाधीन कालेज निडोरी के पास चैकिंग कर रहे उ0नि0 श्री उमेश कुमार मय हमराह है0का0 1496 शिवकुमार द्वारा दौरान चैकिंग अभि0 इमरान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर गांजा सप्लाई करने वालों को चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्ता -

इमरान उर्फ पप्पू पुत्र मोमीन निवासी ग्राम निडोरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

(1)250 ग्राम नाजायज गांजा ,

पंजीकृत अभियोग-

(1)मु0अ0सं0 441/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद .



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज सहित गिरफ्तार

श्री मान्उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.2021 को चैकिंग के दौरान लोनी डिपो के गेट के सामने चौकी क्षेत्र लोनी बार्डर से एक अभियुक्त पप्पू पुत्र राजेश नि0 बलराम नगर लोनी गली न0 8 कब्रिस्तान वाली गली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को एक अदद तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पप्पू पुत्र राजेश नि0 बलराम नगर लोनी गली न0 8 कब्रिस्तान वाली गली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 423/21 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त पप्पू से बरामद का विवरण-

01 अदद तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज।



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कुल 120

अदद अल्प्राजोलम नशीली गोलियाँ नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक: 30.5.2021 समय 23.45 बजे को पार्क के पास टायलेट बालूपुरा चौकी क्षेत्र किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त **राजू उर्फ सुदामा पुत्र रोहतास** को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **कुल 120 अदद नशीली गोलियाँ अलप्राजोलम टेबलेट नाजायज** बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर **मु0अ0सं0-500/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है।**

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं, रेलवे स्टेशन के आसपास पडे नशेडी व्यक्तियों को नशीली गोलियाँ बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

राजू उर्फ सुदामा पुत्र रोहतास निवासी 166 डी रेलवे कॉलोनी आर्य नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू उर्फ सुदामा उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 500/2021 धारा 8/एनडीपीएस एक्ट 22 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 120 अदद नशीली गोलीया अलप्राजोलम टेबलेट ।

